



भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान

ICAR - Central Arid Zone Research Institute

जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur(Rajasthan)342003

Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in

Phone No. 0291 – 2787152 - AAO /2785981-AO/ 2786485-CAO/ 2786584-Dir./ FAX: 0291 – 2788706



F. No. 11(2)2016-17/Admn. IV/

Dated : 13.06.2017

अनार फलों की नीलामी हेतु निविदा सूचना

इस संस्थान (काजरी), जोधपुर के बागबानी क्षेत्र में अनार के लगभग 160 पौधे हैं जिनमें मुख्यतः जालौर सीडलेस वैरायटी के पौधे हैं । इन अनार के पौधों में अनार फल इनकी फल ऋतु माह जुलाई 2017 से अप्रैल, 2018 के दौरान उपलब्ध होंगे । नीलामी के अन्तर्गत अनार के पौधों के रख-रखाव संबंधी फील्ड कार्य जैसे-छँटाई, सिंचाई, खाद और फर्टीलाइजर देना, निराई, गुड़ाई तथा अन्य सभी सहयोगी कार्य सम्मिलित हैं संबंधित ठेकेदार/पार्टी को स्वयं ही अपने खर्चे पर करने होंगे । जो कि अनार के पौधों पर लगने वाले फूलों के समय से आरम्भ होकर अनार फल लगने तथा इनकी तुड़ाई होने तक की अवधि तक ठेकेदार/पार्टी को जिसके पक्ष में फलों की नीलामी स्वीकृत होगी, निर्देशानुसार पूरे करने होंगे । यद्यपि खाद, फर्टीलाइजर, इनसेक्टिसाइड, पेस्टीसाइड तथा सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति संस्थान द्वारा की जाएगी अनार फलों की नीलामी अवधि 1 जुलाई, 2017 से 15 अप्रैल, 2018 तक वैद्य रहेगी । उक्त अनार फलों की नीलामी हेतु इच्छुक ठेकेदारों/पार्टियों से निविदाएँ आमंत्रित की जाती है ।

निविदा प्रस्तुति की अन्तिम दिनांक 28.06.2017 समय प्रातः 11.00 बजे तक रखी गई है । इच्छुक निविदादाता कार्यालय समय के दौरान स्वयं उपस्थित होकर अनार के पौधों का अवलोकन कर सकते हैं तथा अपनी निविदा निविदा बॉक्स में डाल सकते हैं अथवा निविदा डाक/कोरियर द्वारा भेज सकते हैं । अन्तिम दिनांक एवं समय के पश्चात निविदाएं स्वीकार/विचाराधीन नहीं की जाएगी । नीलामी से संबंधित विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

नोट : यह विज्ञापन राजस्थान पत्रिका तथा दैनिक भास्कर अखबार जोधपुर संस्करण में दिनांक 14.06.2017 को प्रकाशित है ।



भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in
Phone No. 0291 – 2787152 - AAO / 2786586-CAO / 2786584-Dir./ FAX: 0291 – 2788706



F. No. 11(6)2016-17/Admn. IV/

Dated the 13th June, 2017

अनार फलों की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रण विवरण एवं निर्देशित नियम व शर्तें

निविदा स्वीकार करने की अंतिम दिनांक : 28.06.2017 समय प्रातः 11.00 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक : 28.06.2017 समय प्रातः 11.30 बजे
निविदा संबंधी विवरण, नियम व शर्तें इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है ।
इच्छुक निविदा कर्ता इस वेब साइट से निविदा संबंधी विवरण डाउन लोड कर सकते हैं ।

प्रेषक :

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
भा.कृ.अनु.प.-के0शु0क्षे0अ0सं0 (काजरी),
जोधपुर । (राज0) 342003

सेवा में

मैसर्स/श्रीमान् _____

विषय : के0शु0क्षे0अ0सं0, (काजरी) जोधपुर के बागबानी क्षेत्र में अनार के फलों की ऋतु वर्ष 2017-18 के लिए नीलामी हेतु निविदा ।

प्रिय महोदय,

इस संस्थान के निदेशक की ओर से भा.कृ.अनु.प.-के0शु0क्षे0अ0सं0, (काजरी) जोधपुर के बागबानी क्षेत्र में अनार के फलों की नीलामी ऋतु वर्ष 2017-18 के लिए मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जिसका विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें सलंगन अनुसार हैं।

सभी प्रकार से पूर्ण सीलबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में दिनांक 28.06.2017 समय प्रातः 11.00 बजे तक प्रस्तुत कर दी जाये अथवा पहुँच जानी चाहिए । निश्चित अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी ।

भवदीय

सलंगन : उपरोक्तानुसार

सहायक प्रशासकीय अधिकारी (भण्डार)
वास्ते निदेशक

नीलामी सामग्री की विवरणी

क्रम संख्या	विवरण	अनार पौधों की संख्या
1.	<p>इस संस्थान (काजरी), जोधपुर के बागबानी क्षेत्र में अनार के लगभग 160 पौधे हैं जिनमें मुख्यतः जालौर सीडलेस वैरायटी के पौधे हैं । इन अनार के पौधों में अनार फल इनकी फल ऋतु माह जुलाई 2017 से अप्रैल, 2018 के दौरान उपलब्ध होंगे । नीलामी के अन्तर्गत अनार के पौधों के रख-रखाव संबंधी फील्ड कार्य जैसे – छँटाई, सिंचाई, खाद और फर्टीलाइजर देना, निराई, गुड़ाई तथा अन्य सभी सहयोगी कार्य सम्मिलित हैं इन कार्यों में इनसेक्टिसाइड तथा पेस्टीसाइड के स्प्रे के लिए घोल तैयार करना, लघु पोषक इत्यादि कार्य बागबानी स्टाफ के निर्देशन के अन्तर्गत किये जाएंगे सम्मिलित हैं संबंधित ठेकेदार/पार्टी को स्वयं ही अपने खर्चे पर करने होंगे । जो कि अनार के पौधों पर लगने वाले फूलों के समय से आरम्भ होकर अनार फल लगने तथा इनकी तुड़ाई होने तक की अवधि तक ठेकेदार/पार्टी को जिसके पक्ष में फलों की नीलामी स्वीकृत होगी, निर्देशानुसार पूरे करने होंगे । यद्यपि खाद, फर्टीलाइजर, इनसेक्टिसाइड, पेस्टीसाइड तथा सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति संस्थान द्वारा की जाएगी ।</p> <p>अनार फलों की नीलामी अवधि 1 जुलाई, 2017 से 15 अप्रैल, 2018 तक वैध रहेगी ।</p>	लगभग 160 पौधे

अनार फलों की नीलामी हेतु नियम व शर्तें -

1. धरोहर राशि उपरोक्त के लिए रूपये 2000/- ICAR Unit- CAZRI Jodhpur के नाम राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट (Demand Draft) निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा मान्य नहीं होगी ।
2. सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री कर / वेट (if applicable) अनार के फलों की नीलामी में सफलतम अधिकतम दर स्वीकृत निविदादाता ठेकेदार / फर्म को अतिरिक्त सरकारी नियमानुसार अलग से देना होगा ।
3. इच्छुक निविदाकर्ता उपरोक्त अनार के पौधों का निरीक्षण अंतिम दिनांक से पूर्व सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान इस संस्थान में उपस्थित होकर कर सकते हैं ।
4. निविदा सीलबन्ध लिफाफे में उपरोक्तानुसार अंतिम दिनांक व समय तक सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है । डाक संबंधी विलम्ब के लिए काजरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । निविदा पत्र के लिफाफे के ऊपर **अनार फलों की नीलामी के लिए निविदा** अवश्य लिखें । निविदा निर्धारित दिनांक तथा समय (दिनांक 28.06.2017 प्रातः 11.30 बजे) संस्थान की समिति द्वारा खोली जाएगी ।
5. सफल या उच्चतम निविदा दाता/पार्टी को नीलामी के अन्तर्गत किये जाने वाले संबंधित फील्ड कार्य कार्यालय समय में इस संस्थान के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में अथवा निर्देशानुसार किया जायेगा, प्रत्येक पौधे की उपज का तौल आदि का पूर्ण ब्यौरा रखा जायेगा । फलों की तुड़ाई ठेका अवधि के दौरान ही पौधों के बगैर नुकसान पहुँचाये फलों को तोड़कर ले जाना होगा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह अवधि घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है ।
6. अनार की नीलामी में पारित अधिकतम स्वीकृत राशि फलों की पहली तुड़ाई से पूर्व जमा करानी होगी ।
7. ठेकेदार को इस संस्थान के प्रांगण में एक विक्रय स्थल रखने की वांछित सुविधा दी जाएगी ।
8. अन्य जानकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित वैज्ञानिक/सहायक प्रशासकीय अधिकारी से ले सकते हैं ।
9. अनार फलों की नीलामी के सफलतम अधिकतम स्वीकृत दर निविदा दाता/फर्म के अतिरिक्त अन्य निविदादाता की धरोहर राशि को पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा ।
10. निदेशक, काजरी को बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
11. निविदादाता को इन नियम व शर्तों को हस्ताक्षर कर अपनी फर्म/पार्टी के नाम की मोहर लगाकर निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है । नियम व शर्तों की प्रतिलिपि इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in से डाउन लोड की जा सकती है ।
12. अनार के पौधों को दी जाने वाली खाद, फर्टीलाइजर, पेस्टीसाइड तथा सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति संस्थान द्वारा की जाएगी ।
13. नीलामी की अन्य अन्य शर्तें नियमानुसार लागू होंगी तथा अन्य संबंधित फील्ड कार्य प्रभारी अधिकारी, वानिकी/Dr. Akhat Singh, Senior Scientist (Hort.) के निर्देशानुसार करने होंगे ।
14. प्रस्तुत की गई निविदा हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिये । बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नहीं होगी ।

15. नीलामी की स्वीकृत शर्तों में से किसी भी शर्त का सफलतम अधिकतम दर स्वीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा नीलामी कार्यावधि के दौरान उल्लंघन किये जाने अथवा कोई शिकायत पाये जाने पर निदेशक को नीलामी/ठेके को निरस्त करने का अधिकार होगा और उस ठेकेदार/फर्म द्वारा इस संस्थान में इस नीलामी से संबंधित जमा करायी गयी समस्त जमा राशि जब्त समझी जायेगी ।
16. अनार फलों की नीलामी के स्वीकृत ठेकेदार/फर्म अथवा उसके मजदूरों द्वारा अनार के पौधों को किसी प्रकार का नुकसान करने पर ठेकेदार को निदेशक द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा करानी होगी ।
17. अनार फल नीलामी की स्वीकृत फर्म/ठेकेदार को नीलामी की स्वीकृत अधिकतम राशि के अलावा सिक्युरिटी राशि (ठेके की राशि का 6 प्रतिशत) भी अलग से जमा करनी होगी जो कि नीलामी की शर्तों की अनुपालना व अनार फल ऋतु की अवधि पूर्ण होने के पश्चात वापिस देय होगी ।
18. अनार के पौधों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा तथा फल तुड़ाई के लिए पौधे हिलाये नहीं जाएंगे ।
19. नीलामी छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार निदेशक, के०शु००००००, जोधपुर को होगा ।
20. नीलामी के अन्तर्गत किये जाने वाले अनार पौधों के रखरखाव तथा फल तुड़ाई संबंधी फील्ड श्रमिक कार्यों में बाल श्रमिकों को काम में नहीं लगाया जाएगा ।
21. इस नीलामी में अनार फल तौड़ने की अवधि 1 जुलाई, 2017 अथवा नीलामी की दिनांक से 15 अप्रैल, 2018 तक वैद्य रहेगी अथवा आदेशानुसार मान्य होगी ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

नीलामी/ठेके की अन्य शर्तें एवं नियम

1. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए, अधुरी कॉट-छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. अनार फलों की नीलामी संबंधी निविदा हेतु निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ रुपये 2000/-अमानत राशि ड्राफ्ट द्वारा जो कि ICAR UNIT- CAZRI JODHPUR के नाम देय हो निविदा में संलग्न करना होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. निविदा भरते समय ठेकेदार अपना नाम पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर एवं पेन संख्या अवश्य लिखें। पेन संख्या प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, काजरी को होगा।
6. अनार फलों की नीलामी के स्वीकृत सफलतम अधिकतम दर ठेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाए। होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार/फर्म को करनी होगी।
7. ठेकेदार को दैनिक कार्यावधि में ही अपने मजदूरों से कार्य करवाना होगा।
8. अनार फलों के बगीचों में पेड़ों के रख रखाव संबंधी फील्ड कार्यों तथा फल तौड़ने इत्यादि कार्यों, कार्यावधि के दौरान करते समय ठेकेदार/फर्म के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक, भा.कू.अनु.प. - के0 शु0 क्षे0 अ0 सं0 (काजरी) का होगा।
10. अनार फलों संबंधी नीलामी में स्वीकृत फर्म/ पार्टी/ ठेकेदार को अनार फलों के रख-रखाव तथा फल तौड़ने की कार्यावधि के दौरान अनार फलों संबंधी नीलामी के नियम व शर्तों की अनुपालना तथा अनार फलों की स्वीकृत राशि निर्देशित समयानुसार जमा कराने के संबंध में एक बन्धक वांछित स्टाम्प पेपर पर भरकर नीलामी की दिनांक से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
11. अनार फलों को तौड़ने के कार्य इत्यादि में लगाये गये व्यक्तियों की सूची संस्थान के संबंधित वैज्ञानिक अथवा सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी।
12. ठेकेदार/फर्म को इस कार्य में लगे अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी। सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे ESI/EPF/Service Tax etc. का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि का पूर्ण अनुसरण/निर्वाह करना होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों, अनुदेशों व समय-समय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना करनी होगी और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
13. नीलामी के अन्तर्गत किये जाने वाले अनार फलों के रखरखाव तथा फल तुड़ाई संबंधी फील्ड श्रमिक कार्यों में बाल श्रमिकों को काम में नहीं लगाया जाएगा।
14. काजरी परिसर में जंगली जानवरों, पशु पक्षियों को नुकसान पहुँचाना या इनका शिकार करना वर्जित है। ऐसा करने वाले ठेकेदार के श्रमिक/व्यक्ति/अथवा संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
15. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक